Seventeenth Loksabha

an>

Title: Introduction of The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022.

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कर्नाटक राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची को आशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि कर्नाटक राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची को आशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन मुंडा: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

… (व्यवधान)

12.13hrs